

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 11618 / 4949

दिनांक :- 10/01/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री ममता खोयाल [लिंक न . 11618] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सिरौही - [20388] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 31/08/2018 से 31/08/2018 तक 1 दिवस

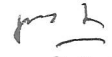
दिनांक 11/09/2018 से 11/09/2018 तक 1 दिवस

दिनांक 26/03/2019 से 09/04/2019 तक 15 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

दिनांक 16/04/2019 से 26/04/2019 तक 11 दिवस

कुल 28 दिवस

उक्त कुल 28 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री ममता खोयाल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 01/09/2018, 02/09/2018, 03/09/2018, 27/04/2019, 28/04/2019, 29/04/2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 11618 / 4949

दिनांक :- 10/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सिरौही

2. कोषाधिकारी सिरौही

3. श्री /श्रीमती / सुश्री ममता खोयाल [11618] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सिरौही

4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक

✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)